न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, (राज.)

पीठासीन अधिकारी — हनुमान सहाय मीणा, (आर.जे.एस.)

दीवानी वाद संख्या — 13/2018

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, उम्र 81 वर्ष, निवासी— ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

——वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र श्री रामनारायण कुमावत, उम्र 63 वर्ष, निवासी— ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 (एकपक्षीय कार्यवाही)
2. श्रीमती सीमा बाई पत्नी सीताराम कुमावत, उम्र 59 वर्ष, निवासी— ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 (एकपक्षीय कार्यवाही)

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री हेमन्त योगी : विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से

प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांक 17.08.2024**

01— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 सीपीसी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी के स्वामित्व, आधिपत्य व कब्जे का एक भूखण्ड वाके ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूखण्ड की साईज उत्तरी सीमा 99 गज, दक्षिणी सीमा 88 गज, पूर्वी सीमा 132 गज व दक्षिणी सीमा 128 गज कुल क्षेत्रफल 12090 वर्ग गज व साथ में एक चबूतरा जो उत्तर दक्षिण 9 गज व पूर्व पश्चिम 11 गज कुल क्षेत्रफल 99 वर्ग गज है। इस प्रकार उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल

12189 वर्ग गज है। उक्त भूखण्ड की चतुर्सीमा इस प्रकार है कि पूर्व में गांव की आबादी, पश्चिम में आम रास्ता गडार, उत्तर में चाकण नदी की सीमा व दक्षिण में हरिजन बस्ती व आम रास्ता अवस्थित है। उक्त भूखण्ड को वादी द्वारा वैद्य गौतम राम पुत्र श्री केशोराय गुर्जर निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी से दिनांक 13.10.1998 को क्रय किया था तब से उक्त भूखण्ड पर वादी का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड के कोने पर निर्माणाधीन चौकीदार के लिये कमरे बनाये हुए हैं। उक्त भूखण्ड का नजरी नक्शा प्रस्तुत कर वादी ने कथन किया है कि भूखण्ड पर एक कोने पर बने हुए दो कमरे चौकीदार क्वाटर पर प्रतिवादीगण कब्जा करने पर आमदा है तथा नाजायज रूप से तोड़–फोड़ कर निर्माण करना चाहते हैं एवं दिनांक 22.06.2018 को प्रतिवादीगण वादी के उक्त भूखण्ड पर आये व जबरन कब्जा करने पर आमदा हुये तो इस पर वादी ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया किन्तु वह वादी को धमकी देकर गये कि हम इस क्वाटर पर कब्जा करके रहेंगे व तोड़–फोड़ कर अपना निर्माण करेंगे। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूखण्ड पर पूर्वी दक्षिणी कोने पर बने दो कमरे चौकीदार क्वाटर पर न तो स्वयं कब्जा करे व न कोई निर्माण कार्य या तोड़–फोड़ न करे ओर न अन्य से करावे।

02– प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 अस्वीकार है। वादी ने जो नाप दिखाया हैं वो गलत हैं। वादी नें प्रतिवादीगण के मकान को अपनी सीमा में दर्शाने की कोशिश की है। प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से मकान बना कर निवास कर रहें हैं। वैद्य गौत्तम राम ने किस दस्तावेंज से अपना मानकर विक्रय किया है, इसका वादी ने कोई कथन नहीं किया हैं। वादी का कथन भूखण्ड वीरान टीला था जिसका वैद्य गोत्तम राम के पास कोई मालिकाना सबूत के दस्तावेज नहीं है। उक्त चरण में वर्णित 2 कमरें प्रतिवादीगण के हैं। जिनकों वादी झूठें तथ्यों से अपना बनाना चाहता है व प्रतिवादीगण के मकान के पास वीरान रिक्त भूखण्ड है। प्रतिवादीगण ने अपने परिवार के निवास हेतु कमरे बना रखे है। जिसमें प्रतिवादीगण सपरिवार 20 वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण पिछले 20 वर्षों से मकान बना कर निवास कर रहे है।

जिसमें वादी का कोंई सरोकार नही हैं, वादी ताकत व पैसों के बल पर प्रतिवादीगण का मकान हडप करना चाहता हैं व वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। यह कि ग्राम पंचायत बाबई के द्वारा दिनांक 26.06.2018 को तहसीलदार इन्द्रगढ को पत्र क्रंमाक 9 दिनांक 26.06.2018 से वादी महेंन्द्र सिंह व उसकें पुत्रों रणजीत, बलबीर के विरुद्ध पुराने किले को जे.सी.बी. से हटाने को रोकने हेतु पत्र लिखा है। जिसमें प्रतिवादी के मकान का ग्राम पंचायत में उल्लेख किया है। प्रतिवादीगण के मकान को वादी इस दावें की आड में अपना बनाना चाहता है, जिसका वादी को कानूनन कोई अधिकार नहीं हैं। अतः वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

03— प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

04— वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए :—

1— आया वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड एवं भूखण्ड के कोने पर निमार्णाधीन चौकीदार के कमरे पर प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर तोड़—फोड़ कर नया निर्माण करने पर आमदा है ?

——वादी

2— आया प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य के विरुद्ध वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

——वादी

3— आया वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के अभाव में प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है ?

——प्रतिवादीगण

4— अनुतोष ?

05— साक्ष्य वादी में वादी की ओर से गवाह पी.ड.01 महेन्द्र सिंह, पी.ड. 02 धोलूलाल, पी.ड.03 राधेश्याम, पी.ड.04 तेजराज, पी.ड.05 अशोक राठौड़ व पी.ड. 06 बृजेश कुमार के बयान लेखबद्ध करवाए गए व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श.01

नक्शामौका को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस अंतिम एकपक्षीय हेतु नियत की गई।

06— बहस एकपक्षीय कार्यवाही सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संबंधित विधिक व न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गयेः—

1. 2017 (4) DNJ (Raj.) 1438
2. 2017 DNJ (SC) 1029
3. 2017 (4) DNJ (Raj.) 1883
4. RLW 1989 (1) 541 Legal Representatives of Jasraj Vs Dhingarmal
5. RLW 1999 (2) 292 SC Prataprai N. Kothari Vs John Braganza
6. AIR 1972 (SC) 2299
7. 2023 (3) DNJ (SC) 761

07— दौराने बहस वादी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि वादी पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूखण्ड को वादी द्वारा वैद्य गौतम राम पुत्र श्री केशोराय गुर्जर निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी से दिनांक 13.10.1998 को क्रय किया था। तब से उक्त भूखण्ड पर वादी का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड के कोने पर निर्माणाधीन चौकीदार के लिये कमरे बनाये हुए हैं। उक्त भूखण्ड का नजरी नक्शा प्रस्तुत कर वादी ने कथन किया है कि भूखण्ड पर एक कोने पर बने हुए दो कमरे चौकीदार क्वाटर पर प्रतिवादीगण कब्जा करने पर आमदा है तथा नाजायज रूप से तोड़—फोड़ कर निर्माण करना चाहते हैं एवं दिनांक 22.06.2018 को प्रतिवादीगण वादी के उक्त भूखण्ड पर आये व जबरन कब्जा करने पर आमदा हुये तो इस पर वादी ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया किन्तु वह वादी को धमकी देकर गये कि हम इस क्वाटर पर कब्जा करके रहेंगे व तोड़—फोड़ कर अपना निर्माण करेंगे। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

08— न्यायालय द्वारा विरचित किए गए विवाद्यकों का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है :—

<u>विवाद्यक संख्या—1</u>

09— उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था। इस संबंध में वादी ने अपने वादपत्र में कथन किया है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूखण्ड को वादी द्वारा वैद्य गौतम राम पुत्र श्री केशोराय गुर्जर निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी से दिनांक 13.10.1998 को क्रय किया था तब से उक्त भूखण्ड पर वादी का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड के कोने पर निर्माणाधीन चौकीदार के लिये कमरे बनाये हुए हैं। उक्त भूखण्ड का नजरी नक्शा प्रस्तुत कर वादी ने कथन किया है कि भूखण्ड पर एक कोने पर बने हुए दो कमरे चौकीदार क्वाटर पर प्रतिवादीगण कब्जा करने पर आमदा है तथा नाजायज रूप से तोड़—फोड़ कर निर्माण करना चाहते हैं एवं दिनांक 22.06.2018 को प्रतिवादीगण वादी के उक्त भूखण्ड पर आये व जबरन कब्जा करने पर आमदा हुये तो इस पर वादी ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया किन्तु वह वादी को धमकी देकर गये कि हम इस क्वाटर पर कब्जा करके रहेंगे व तोड़—फोड़ कर अपना निर्माण करेंगे। अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है लेकिन प्रतिवादी के द्वारा जो जवाब दावा पेश किया गया है उसमें प्रतिवादी की ओर से कथन किया गया था कि वादी ने जवाबदाता के मकान को अपनी सीमा में दर्शाने की कोशिश की है जो गलत है। प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। उक्त भूखण्ड वीरान टीला था जिसका वैद्य गौतम राम के पास कोई मालिकाना सबूत के दस्तावेज नहीं है। उक्त चरण में वर्णित दो कमरे जवाबदाता के हैं जिनकों वादी झूंठे तथ्यों से अपना बनाना चाहता है। प्रतिवादी पिछले 20 वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, जिसमें वादी का कोई सरोकार नहीं है। अतः वादी के वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वादी की ओर से अपने वादपत्र के तथ्यों को साबित करने के लिए स्वयं को पी.ड.01 व स्वतंत्र साक्षी पी.ड. 02 धोलूलाल, पी.डी.03 हजारीलाल व पी.डी.04 तेजाराम को परीक्षित कराया है व

दस्तावेज के Attesting Witnesses के रूप में पी.ड.05 व पी.ड.06 अशोक व बृजेश कुमार को परीक्षित कराया है व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 व 2 को प्रदर्शित कराया है। प्रदर्श 1 के अनुसार विवादग्रस्त भूखण्ड हेमंत कुमारी के द्वारा वैद्य गौतमराम को बेचान किया गया है एवं प्रदर्श 2 के अनुसार वैद्य गौतमराम के द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड वादी महेन्द्र सिंह को बैचान किया गया है। पी.ड.01 वादी ने अपने शपथपत्र में अपने वादपत्र के तथ्यों को ही दोहराया है एवं प्रतिवादी के द्वारा मात्र पी.ड.01 से ही जिरह की गई है। इसके अलावा पी.ड.02 व 03 ने विवादग्रस्त भूखण्ड वादी के द्वारा क्रय किये जाने का कथन किया है व प्रतिवादी के द्वारा वादी को बेदखल किये जाने पर आमदा है व शपथ पत्र में वादपत्र के तथ्यों को दोहराया है व गवाह पी.ड.04 तेजराज ने स्वयं के समक्ष प्रदर्श 2 को निष्पादित किये जाने का कथन किया है व गवाह पी.ड.05 अशोक राठौड व पी.ड.06 बृजेश कुमार ने विवादग्रस्त भूखण्ड को स्वयं के सामने निष्पादित किये जाने का व उक्त पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। उक्त गवाहों से किसी भी प्रकार की कोई जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही होने से नहीं की गई है। ऐसे में उक्त गवाहों द्वारा दी गई साक्ष्य पूर्ण रूप से अखण्डनीय रही है। चूंकि वादी के द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है उससे वादी के द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड को वैद्य गौतमराम के द्वारा हेमन्त कुमारी से उक्त भूखण्ड को क्रय किया जाना जाहिर आता है व वैद्य गौतमराम के द्वारा भूखण्ड को वादी महेन्द्र सिंह को विक्रय किया जाना जाहिर आता है एवं उक्त को साबित करने के लिए वादी की ओर से स्वयं को पी.ड.01 को भी परीक्षित कराया है एवं उक्त गवाहों से किसी भी प्रकार की कोई जिरह नहीं की गई, जिससे उनके द्वारा दी गई साक्ष्य पूर्ण रूप से अखण्डनीय रही है एवं प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से भी किसी प्रकार की कोई साक्ष्य वादी के द्वारा दी गई साक्ष्य के विपरीत नहीं पेश की गई है, जिससे वादी के द्वारा दी गई साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। अतः वादी की ओर से आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड पर वह काबिज है व उसके आधिपत्य का भूखण्ड है व भूखण्ड के कोने पर निर्माणाधीन चौकीदार के कमरे पर प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर तोड–फोड़ कर नया निर्माण करने पर आमदा है। अतः उक्त विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–3

10– उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था एवं प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि क्या वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के अभाव में प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रतिवादीगण की ओर से उक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः उक्त विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–2

11– उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था। यह विवाद्यक पूर्णतः विवाद्यक संख्या 1 पर निर्भर करता है एंव विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। अतः उक्त विवाद्यक संख्या 2 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

अनुतोष

12– चूंकि उक्त सभी विवाद्यक संख्या 01 लगायत 03 वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है अर्थात् वादी वादपत्र में वर्णित अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

13– अतः **वादी** महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, उम्र 81 वर्ष, निवासी– ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 द्वारा **प्रतिवादीगण** के विरूद्ध प्रस्तुत वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है कि वादपत्र की चरण

संख्या 1 व 2 में वर्णित भूखण्ड के कोने पर बने हुए क्वाटर व उक्त भूखण्ड पर न तो स्वयं कब्जा करे व न कोई निर्माण कार्य या तोड़–फोड़ न करे ओर न अन्य से करावे। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(हनुमान सहाय मीणा)
सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़

14– यह निर्णय आज दिनांक 17 अगस्त, 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़